# न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉची।

## एस ए आर अपील 26 आर 15/08–09

गौरीशंकर पाण्डेय वगैरह अपीलकर्ता

बनाम

मादी उरॉव प्रतिवादी

---

**आदेश**

12

12.12.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 193/99–2000 में श्री बलराम, विशेष पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 26.05.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

| ग्राम | खाता | खेसरा | रकबा |
|---|---|---|---|
| हेसल | 50 | 776 | 11 कट्टा |

अपील आवेदन में कहा गया है कि विवादित जमीन खतियान में भीखु उरॉव एवं भुआ उरॉव के नाम दर्ज है। खतियानी रैयतों ने लगान बकाया रहने के कारण विवादित जमीन तत्कालीन जमींदार को प्रत्यार्पित कर दिया था जिसके बाद यह जमीन जमींदार के दखल में आया। जमींदारी उन्मुलन के बाद जमींदार द्वारा जो रिटर्न दाखिल किया गया है। इसके पश्चात जमींदार ने बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 5, 6 एवं 7 के अंतर्गत लगान निर्धारण हेतु आवेंदन दिया जिसका वाद संख्या 47 आर 8/1957–58 था। लगान निर्धारण आवेदन स्वीकृत हुआ और जमींदार जगेश्वर दयाल सिह को रैयत के रुप में मान्यता प्राप्त हुई। जगेश्वर दयाल सिह ने निबंधित पट्टा द्वारा विवादित जमीन दिनांक 3.7.1968 को समेश्वर दयाल सिह को हस्तांतरित किया। समेश्वर ने 4 कट्ठा 8छटॉक जमीन निबंधित वसीका से 18.12.1968 को अपीलकर्ता कमांक 2 के पिता को बिक्री किया जिसमें जमीन की प्रकृति छपरबंदी दर्ज है। क्रेता की मृत्यु के बाद अपीलकर्ता कमांक 2 दखलकार हुए एवं उनके नाम से अंचल कार्यालय में नामांतरण भी हुआ। जगेश्वर दयाल ने भरत पाण्डेय वगैरह को भी 6 कट्ठा 9 छटॉक जमीन निबंधित पट्टा द्वारा 3.7.1968 को हस्तांतरित किया था जिनके नाम से नामांतरण

भी स्वीकृत हुआ। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विवादित जमीन छपरबंदी है। यह जानते हुए भी प्रतिवादी ने जमीन वापसी का वाद दायर किया। वास्तव में प्रतिवादी का खतियानी रैयत से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपील आवेदन में यह दावा किया गया है कि निम्न न्यायालय में सारे तथ्यों को एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के वाबजूद इनकी अनदेखी की गयी एवं जमीन वापसी का आदेश पारित कर दिया गया। निम्न न्यायालय द्वारा विवादित जमीन पर संरचना होने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की गवाही भी नहीं ली गयी।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख किया। प्रतिवादी के अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन के सारे हस्तांतरण गलत हैं कयोंकि जमीन प्रत्यार्पण का कोई प्रमाण नहीं है। विवादित खेसरा काफी बड़ा है। निम्न न्यायालय का आदेश सही एवं तथ्यों पर आधारित है।

इस अपील वाद में अपीलकर्ता का कहना है कि खतियानी रैयत ने भूमि का 1947 मे प्रत्यार्पण किया और वाद संख्या 47 आर 8 बर्ष 1957–58 के द्वारा भूतपूर्व जमींदार जगदीश्वर दयाल सिंह के नाम लगान निर्धारण हुआ। प्रथम बार जगदीश्वर दयालन सिह ने भरत पांडेय वगैरह को भूमि अन्तरण किया। उसके बाद अन्य अन्तरण हुए। नगरपालिका मे कर निर्धारण हंआ। जमीन पर मकान बना हुआ है। अपीलकर्ता का मत है कि निम्न न्यायालय ने इन दस्तावेजों पर ध्यान नहीं किदा और न ही किसी पक्ष का साक्ष्य लिया।

उपरोक्त स्थिति मे निम्न न्यायालय द्वारा पुनः कागजात देखकर और उभय पक्षों का साक्ष्य लेने की आवश्यकता है। अतएव अपील स्वीकृत करते हुए 26.5. 2008 का आदेश निरस्त किया जाता है। निम्न न्यायालय को पुनः सुनवाई करके आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है

दिनांकः– 12.12.2008 लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–

अपर समाहर्ता,
रॉची।